(भाग 1)

न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर।

पीठासीन अधिकारी सरिता नौशाद, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या 08/2016
सी.आई.एस.नंबर 75/2016
सी.एन.आर.नम्बर **RJBK130000202016**
निर्णय दिनांक 07-05-2026 प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 62/2016 **श्रीडूंगरगढ़**
अपराध अंतर्गत धारा 364/34,342/34,325/34,323/34 भा.द.सं.
भाग प्रथम

परिवादी	दीपाराम पुत्र हडमानाराम निवासी लिखमादेसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
प्रस्तुत द्वारा	श्री सोहननाथ सिद्ध, विद्वान अपर लोक अभियोजक, श्रीडूंगरगढ़। श्री बृजलाल बारोटिया, विद्वान अधिवक्ता परिवादी पक्ष ।
अभियुक्तगण	1- पूर्णाराम पुत्र रूघाराम 2- जैसाराम पुत्र रूघाराम निवासीगण लिखमासदेसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
अभियुक्तगण अधिवक्ता	श्री बाबूलाल दर्जी

(ख)

घटना की दिनांक	17-03-2016
लिखित रिपोर्ट की दिनांक	17-03-2016
आरोप-पत्र की दिनांक	03-05-2016
आरोप विरचना की दिनांक	23-11-2016
साक्ष्य प्रारंभ होने की दिनांक	12-07-2023
निर्णय सुरक्षित की दिनांक	---
निर्णय दिनांक	07-05-2026
दण्डादेश की दिनांक	

अभियुक्त विवरण

क्र सं	नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहायी की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषसिद्ध	अधिरोपित सजा	धारा 428 दंप्रसं के तहत समायोजन वास्ते निरूद्ध समयावधि
1	पूर्णाराम	05-04-2016	29-04-2016	धारा 364/34, 342/34, 325/34,323/34 भा.द.सं.	धारा 342,323/34 भा.द.सं.	--	05-04-2016 से 06-04-2016 तक पुलिस अभिरक्षा 06-04-2016 से 29-04-2016 तक न्यायिक अभिरक्षा में
2	जैसाराम	05-04-2016	29-04-2016	धारा 364/34, 342/34, 325/34,323/34 भा.द.सं.	उक्तानुसार	--	उक्तानुसार

1- भाग द्वितीय 2

अभियोजन /बचाव//न्यायालय गवाह सूची

अ-अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य प्रकृति
पी.डब्ल्यू.1	दीपाराम	परिवादी/आहत
पी.डब्ल्यू.2	हड़मानराम	चश्मदीद साक्षी
पी.डब्ल्यू.3	नौरंगराम	परिवादी का भाई
पी.डब्ल्यू.4	रूखीदेवी	परिवादी की माता
पी.डब्ल्यू.5	द्रोपदी	परिवादी की बहन
पी.डब्ल्यू.6	वर्षा	परिवादी की बहन
पी.डब्ल्यू.7	पन्नाराम	चश्मदीद साक्षी
पी.डब्ल्यू.8	मेघाराम	चश्मदीद साक्षी
पी.डब्ल्यू.9	भागीरथनाथ	औपचारिक साक्षी
पी.डब्ल्यू.10	गिरधारी	बरामदगी का साक्षी
पी.डब्ल्यू.11	दुगाराम	बरामदगी का साक्षी
पी.डब्ल्यू.12	सुगनचंद	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू.13	डॉ. विभय तंवर	चिकित्सीय साक्षी.....

1- ब-बचाव गवाह

रैंक	-----	---------

स-न्यायालय गवाह

रैंक	--------	---------

अभियोजन/बचाव/ न्यायालय प्रदर्श

अ-अभियोजन प्रदर्श

क्र सं	प्रदर्श नम्बर	विवरण
1	प्रदर्श पी 1	तहरीर रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी 2	चाक प्रथम सूचना रिपोर्ट
3	प्रदर्श पी 3 व 3 ए	नक्शा मौका व हालात मौका
4	प्रदर्श पी 4	पुलिस बयान भागीरथ
5	प्रदर्श पी 5	फर्द बरामदगी लाठी मुलजिम जैसाराम

6	प्रदर्श पी 6	फर्द बरामदगी लाठी मुलजिम पूर्णाराम
7	प्रदर्श पी 7 व 7 ए	नक्शा मौका व हालात मौका बरामदगी स्थल मकान मुलजिम पूर्णाराम जगामलसिंह
8	प्रदर्श पी 8	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त जैसाराम
9	प्रदर्श पी 9	दफा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला अभियुक्त जैसाराम
10	प्रदर्श पी 10	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त पूर्णाराम
11	प्रदर्श पी 11	दफा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला अभियुक्त पूर्णाराम
12	प्रदर्श पी 12	चोट प्रतिवेदन दीपाराम
13	प्रदर्श पी 13	एमएलसी एक्स-रे रिपोर्ट
14	प्रदर्श पी 14,15, 15 ए	चिट दस्तखती
ख- बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
1	प्रदर्श डी1	बयान नौरंगलाल अन्तर्गत धारा 161 सीआर.पी.सी.

<u>निर्णय</u> **दिनांक 07-05-2026**

1- प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी दीपाराम पुत्र मानाराम ने दिनांक 17.03.2016 को वक्त 07.30 पी.एम. पर थानाधिकारी पुलिस थाना श्रीडुंगरगढ के समक्ष कानूनी कार्यवाही करने बाबत एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 17.03.2016 को दोपहर 2 बजे वह अपनी दुकान के अंदर था। तब सीनू पुत्री पूरणाराम सांसी ने इससे इसका मोबाईल फोन मांगा कि मेरे भाई से बात करनी है। इसने उसे फोन दे दिया और वह फोन लेकर अपने घर चली गई। इतने में उसके पिताजी आये तब ये सड़क पर खड़ा था। उसके पिताजी इसे पकड़कर अपने घर घसीटते ले गये और इसके साथ मारपीट की। उनके साथ में पूरणाराम का भाई जैसाराम भी शामिल था। उन दोनो ने लाठियो से इसे बूरी तरह पीटा। अपनी पीठ पर निशान भी होना बताये। इसने जोर से शोर किया तो इसका भागीरथनाथ ने बचाव किया और उनके घर से निकाला। उक्त रिपोर्ट पर एस.एच.ओ. पुलिस थाना श्रीडुंगरगढ द्वारा मुकदमा नंबर 62/16 अंतर्गत धारा 323, 342, 34 भारतीय दंड संहिता में दर्ज किया गया व बाद अनुसंधान दिनांक 03.05.2016 को अभियुक्तगण पूर्णाराम व जैसाराम के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 364, 308, 342, 325/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीडुंगरगढ के न्यायालय में चालान पेश किया।

जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त आरोपित अपराधों का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दिनांक 18.05.2016 को माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, महोदय बीकानेर के न्यायालय में कमिट किया गया जहां से स्थानांतरित होकर दिनांक 16.06.2016 अपर सेशन न्यायालय संख्या 02 कैंप कोर्ट श्रीडुंगरगढ को प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विचारण प्रारंभ किया गया।

2- दिनांक 23.11.2016 को बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 364/34, 342/34, 325/34, 323/34 भारतीय दंड संहिता का आरोप पृथक रूप से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाही तथा अभियुक्तगण को अपराध अन्तर्गत धारा 308 भा.द.सं. के आरोप से उन्मोचित किया गया। जिस पर अभियोजन साक्ष्य तलब की गई।

3- अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड.01 दीपाराम, पी.ड. 2 हडमानाराम, पी.ड. 3 नौरंगराम, पी.ड. 4 रूखीदेवी, पी.ड. 05 द्रौपदी, पी.ड. 6 वर्षा, पी.ड. 7 पन्नाराम, पी.ड. 8 मेघाराम, पी.ड. 9 भागीरथनाथ, पी.ड. 10 गिरधारी, पी.ड. 11 दुर्गाराम, पी.ड. 12 सुगनचंद, पी.ड. 13 डॉक्टर विभय तंवर के बयान लेखबद्ध करवाये गये।

4- अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी 1 तहरीरी रिपोर्ट, प्रदर्श पी 2 चाक एफ.आई.आर., प्रदर्श पी 3 व 3ए नक्शा व हालात मौका, प्रदर्श पी 4 बयान भागीरथ, फर्द बरामदगी लाठी प्रदर्श पी 5 व 6, फर्द मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी 7, हालात मौका प्रदर्श पी 7ए, फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त जैसाराम प्रदर्श पी8, दफा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला अभियुक्त जैसाराम प्रदर्श पी9, फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त पूर्णाराम प्रदर्श पी 10, दफा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला प्रदर्श पी 11, चोट प्रतिवेदन दीपाराम प्रदर्श पी 12 व एम.एल.सी. एक्स-रे रिपोर्ट प्रदर्श पी 13, चिट दस्तखती प्रदर्श पी 14, 15 व 15ए प्रदर्शित करवाये गये।

5- बयान मुल्जिम अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता लिये गये तो अभियुक्तगण ने गवाहान के कथन गलत होना, झूठ बोलना व स्वयं का निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना बताया तथा साक्ष्य-सफाई पेश करना बताई किन्तु पेश नहीं की तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डी 1 बयान नौरंगलाल प्रदर्शित करवाये गये।

6- बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का कथन है कि अभियोजन पक्ष अपना मामला अभियुक्तगण के विरूद्ध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। क्योंकि चश्मदीद

गवाह भागीरथनाथ घटना की ताईद नहीं करता है तथा परिवादी व अन्य गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास विद्यमान है। परिवादी प्रथम सूचना रिपोर्ट के विपरीत बढाचढाकर कथन अपने सशपथ बयानों में करता है जिसकी पुष्टि अन्य गवाहों के बयानों से नहीं होती है। गवाहान हितबद्ध है जो रंजिश के कारण अभियुक्तगण के विरूद्ध कथन करते है। अतः संदेह का लाभ दिया जाकर अभियुक्तगण को बरी किया जावें। इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता परिवादी का कथन है कि अभियोजन ने अभियुक्तगण के विरूद्ध अपनी समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से आरोपित अपराध संदेह से परे साबित किया है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों के तहत दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित किया जावे।

7- उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न है-

1- आया अभियुक्तगण ने दिनांक 17-03-2016 को दोपहर दो बजे गांव लिखमादेसर में सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी दीपाराम को मृत्यु के भय में डालकर सड़क से घसीटकर अपने घर ले जाकर उसे रोककर उसका सदोष परिरोध किया तथा उसके साथ कुंद हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण व गंभीर उपहति कारित की ?

2- यदि हां, तो युक्तियुक्त दण्ड क्या हो?

8- विचारणीय प्रश्नों के संबंध में पत्रावली पर विद्यमान साक्ष्य का विवेचन इस प्रकार है गवाह पी.ड. 1 परिवादी व आहत दीपाराम का कथन है कि दिनांक 17.03.2016 को दोपहर दो बजे वह अपनी दुकान पर था तब पूर्णाराम की लड़की ने आकर कहा कि मेरा भाई डुंगरगढ गया हुआ है, उससे बात करनी है इसलिये अपना मोबाईल दे दो। इसने उसे अपना मोबाईल दे दिया जिसे लेकर वह बात करती-करती अपने घर चली गई। गवाह का कथन है कि वह अपनी दुकान से बाहर निकलकर दुकान के आगे खड़ा था तब वहां पर पूर्णाराम पुत्र रूघाराम आया और इसे लाठी से पीटने लगा। इतने में पूर्णाराम का भाई जैसाराम भी वहां पर आ गया और दोनो भाई इसे मारपीट कर व घसीटकर पूर्णाराम के घर ले गये। वहां ले जाकर दोनों ने फिर इसके साथ मारपीट की। फिर इसका भाई नौरंगलाल व इसकी बहन बसंती व द्रौपदी वहां पर आई तो जैसाराम गंडासी लेकर पीछे भागा और बोला जान से मार दूंगा। थोड़ी देर बाद भागीरथनाथ वहां पर आया व पूर्णाराम तथा जैसाराम को दकाला तो उन्होंने इसे छोड़ दिया। फिर इसकी मां, बहन व भाई इसे इसके घर ले गये। इसके बाद में सूरजनाथ पुत्र रूघनाथ इसे अपनी गाड़ी में डुंगरगढ

लेकर आया। इसके पिता हड़मानाराम उस वक्त डुंगरगढ में थे। श्रीडुंगरगढ वाली गली में रिपोर्ट लिखकर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। फिर इसे अस्पताल ले जाकर ईलाज करवाया। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 पर दो जगह तथा चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी 2 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होना बताये।

9- जिरह में गवाह पी.ड. 1 दीपाराम का कथन है कि सोनू की उम्र 14-15 वर्ष है उसके भाई का नाम कालू है जो 20-22 वर्ष का है। सोनू को जब अपना मोबाईल दिया तब उसके भाई के नंबर लगाकर दिये थे। इसकी दुकान कूलर व मोबाईल रिपेयरिंग की है। घटना के समय यह अपनी दुकान के बाहर खड़ा था। इसकी दुकान व सोनू के घर के आगे ईंटो की सड़क बनी हुई है। पूर्णाराम व जैसाराम के मकान अलग-अलग है। सोनू के जाने के एक घंटे तक ये अपनी दुकान में था। एक घंटे बाद दुकान से बाहर आया तब जैसाराम दुकान पर आया था। इसने एक घंटे तक मोबाईल नहीं मांगा। अपनी दुकान से दक्षिण में साजनराम का मकान होना जो अपने घर से दो घर दूर होना बताया। ये गलत बताया कि ये साजनराम के घर के आगे दक्षिण में गली में खड़ा था। प्रदर्श पी 1 में दुकान के आगे मारपीट करने की बात क्यों नहीं लिखी पता नहीं, दुकान के आगे से मारपीट करते-करते घसीट कर घर में ले गये थे। अपने घर के पास मघाराम मेघवाल के घर के आगे मंदिर होना व उसके पास से पूर्व से पश्चिम में रास्ता होना बताया। यह गलत बताया कि ये उक्त रास्ते पर साजनराम के घर के दक्षिण में सोनू को पकड़कर उसके साथ गलत हरकत कर रहा था और उस समय वहां पर लीलूराम, श्रवणराम, ईश्वरराम, चैनाराम, साजनराम व मघाराम आ गए हो। घटनास्थल पर घटनास्थल के सभी पड़ोसी आ जाना बताये। गवाह ने कहा मुल्जिमान इसे साजनराम के घर के बारह से घसीटते-घसीटते अपने घर ले गये थे। गली में स्वयं के 7 चोटे मारना बताई। चोटों से बेहोश नहीं हुआ था। मुल्जिमान् ने अपने घर पर करीब 20 चोटे मारी थी। ये गलत बताया कि इसने सोनू के साथ छेड़खानी की थी और सोनू ने इसके साथ मारपीट की हो। यह भी गलत बताया कि लड़की के साथ छेड़खानी की बात सुनकर मौहल्ले वालों ने इसे पीटा हो और छेड़खानी के मुकदमे के बचाव में ये झूठा मुकदमा किया हो।

10- इस प्रकार गवाह पी.ड.1 परिवादी दीपाराम ने अपनी साक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा पहले तो अपनी दुकान के आगे लाठी से मारपीट करना बताया है और फिर अपने घर घसीटते हुए मुल्जिमान द्वारा ले जाकर वहां पर 20 चोटे मारना बताया है। सात चोटे दुकान के आगे मारना बताया है और चोटों से बेहोश नहीं होना बताया है। मौके पर अपनी मां, बहन व भाई द्वारा

आकर अपने घर ले जाना व भागीरथनाथ द्वारा मुल्जिमान को दकलाना बताया है। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में अपने भाई नौरंगलाल, बहन द्रौपदी व बसंती का आना नहीं अंकित किया है तथा ना ही जैसाराम द्वारा गंडासी लेकर पीछे भागना व जान से मारने की धमकी देना बताया है और ना ही सूरजनाथ द्वारा डुंगरगढ अस्पताल लेकर जाना बताया है। प्रदर्श पी 1 में स्वयं को सड़क पर खड़ा होना बताया है। अपने मुख्य परीक्षण में अपनी दुकान के आगे खड़े के साथ लाठी से पीटना व घसीटते हुए मुल्जिमान द्वारा अपने घर ले जाकर वहां भी मारपीट करना बताया है। प्रदर्श पी 1 रिपोर्ट पर सड़क से घसीटते हुए अपने घर ले जाना और घर पर मारपीट करना बताया है तथा अपनी जिरह में साजनराम के घर के बाहर से घसीटते-घसीटते अपने घर मुल्जिमान द्वारा ले जाना बताया है।

11- गवाह पी.ड. 1 दीपाराम की साक्ष्य में यह आया है कि भागीरथनाथ ने मुल्जिमान केा दकाला तक वे उसे छोड़ गये। इस प्रकार भागीरथनाथ घटना का चश्मदीद साक्षी है तथा स्वतंत्र गवाह है। परंतु यह महत्वपूर्ण साक्षी पक्षद्रोही घोषित हुआ है।

12- गवाह पी.ड. 2 हडमानाराम परिवादी दीपाराम का पिता है, जो परिवादी के कथनानुसार वक्त घटना स्वयं को श्रीडुंगरगढ में होना बताता है। घटना का कारण बताते हुए कहता है कि इसके बेटे पूर्णाराम की लड़की को अपने भाई से बात करने के लिए मोबाईल फोन मिला कर दे दिया था, जिससे नाराज होकर जैसाराम व पूर्णाराम ने पहले तो इसके बेटे के साथ सड़क पर मारपीट की व फिर अपने घर उसे घसीटकर ले गये। उसके साथ लाठियों से मारपीट की। दूसरे दिन अपने सामने पुलिस द्वारा घटनास्थल का नक्शा-मौका प्रदर्श पी 3 बनाना, जिस पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होना बताये व अपने बेटे को 3-4 दिन अस्पताल में भर्ती रखना बताया। मुख्य परीक्षण में ये गवाह कहता है कि जब मारपीट हो रही थी, तब ये घटनास्थल पर पहुंच गया था, परंतु स्वयं आहत व परिवादी पी.ड. 1 दीपाराम इसकी उपस्थिति घटना के समय मौके पर नहीं होना बताता व इसका श्रीडुंगरगढ में होना बताता है। जिरह में गवाह पी.ड.2 हड़मानाराम का कथन है कि घटना दिनांक 17.03. 2016 को वह वक्त 08.45 ए.एम पर बीकानेर दवाई लेने गया था। शाम को 05.30 बजे गांव पहुंचा था। घटना की बात इसे इसके बेटे नौरंग ने बताई थी। इसने मारपीट की घटना अपनी आंखो से नहीं देखी। मुल्जिमान के घर के पास अपना घर नहीं होना बताया। पूर्णाराम की लड़की के साथ इसके बेटे दीपाराम ने कोई छेड़खानी की हो तो स्वयं को पता नहीं होना बताया।

13- गवाह पी.ड.3 नौरंगराम, परिवादी का भाई है। परिवादी पी.ड.1 दीपाराम ने अपने सशपथ बयानों में अपनी बहनो व माता के साथ इसके द्वारा स्वयं को छुड़ाकर मुल्जिमान के घर से अपने घर लाना बताया है। इसका मुख्य परीक्षण में कथन है कि दिनांक 17.03.2016 को ये अपनी माता व बहन द्रोपदी व बसंती के साथ अपने घर पर था। उस दिन दो-ढाई बजे पूर्णाराम की बेटी उसके भाई की दुकान पर आकर उसका मोबाईल भाई से बात करने के लिए अपने घर बात करती-करती ले गई। बाद में इसका भाई दुकान से बाहर आया तब पहले पूर्णाराम व फिर जैसाराम ने आकर इसके भाई के साथ दुकान के आगे मारपीट की और मारपीट करते हुए उसे अपने घर ले गये। मौहल्ले के बच्चों ने जब इन्हें आकर बताया कि पूर्णाराम व जैसाराम आपके भाई के साथ मारपीट कर रहे है तो ये, इसकी बहन बसंती व द्रौपदी तथा इसकी मां पूर्णाराम के घर गये तो इन्होंने वहां जाकर देखा कि इसके भाई को वहां उल्टा पटक रखा था और लाठी से मारपीट कर रहे थे उन्होंने इन्हें अंदर नहीं जाने दिया और जैसाराम गंडासी लेकर इनके पीछे भागा और पास आकर कहा कि आपको मार दूंगा। फिर इनके गांव के भागीरथनाथ ने वहां आकर बीच-बचाव कर दीपाराम को छुड़वाया तब ये उसे घर लेकर गया। दीपाराम के शरीर पर काफी चोटे आई थी। फिर दीपाराम को इसके भाई भंवरलाल वगैरह ने रूघनाथ की गाड़ी से डुंगरगढ अस्पताल लाये। दूसरे दिन पुलिस द्वारा मौके पर आकर नक्शा-मौका प्रदर्श पी 3 बनाना बताया और इस पर सी से डी अपने हस्ताक्षर होना बताये।

14- जिरह में कथन किया कि जिन बच्चों ने घटना के बारे में बताया उनके नाम याद नहीं। गवाह ने कहा कि जब ये मौके पर गया तब मुल्जिमान इसके भाई को घसीटकर अपने घर ले जा रहे थे। उस समय जैसाराम के हाथ में लाठी थी व पूर्णाराम के हाथ में कुछ नहीं था। ये मुल्जिमान के घर की बाखल में आधी दूरी पर गये थे तभी जैसाराम इनके पीछे आया था। उस समय मौके पर मौहल्ले के कौन आदमी आये थे, पता नहीं। भागीरथनाथ पुत्र मेघनाथ आया था। इसके पिताजी डुंगरगढ थे। झगड़ा दुकान के आगे शुरू हुआ था और कहीं नहीं शुरू हुआ। घटनास्थल से दो घर छोड़कर अपना मकान होना बताया। यह गलत बताया कि मुल्जिमान की अनुपस्थिति में इसका भाई सोनू को छोड़ने उसके घर घुस गया हो। यह गलत बताया कि इसने घटना नहीं देखी हो।

15- गवाह पी.ड.4 रूखीदेवी परिवादी की माता का कथन है कि गांव के लड़को ने बताया कि पूर्णाराम व जैसाराम इसके बेटे दीपाराम को पीट रहे है तो ये स्वयं, इनका बेटा नौरंगराम व इसकी दो बेटियां घटनास्थल पर गये

तो इन्होंने देखा कि जैसाराम व पूर्णाराम ने अपनी बाखल में दीपाराम को उल्टा पटक रखा था व लाठी से उसके साथ मारपीट कर रहे थे। इन्होंने रोला किया व छुड़ाने के लिए घर के अंदर जाने लगे तो जैसाराम गंडासी लेकर इनकी तरफ आया और बोला कि घर के अंदर आये तो गंडासी से काट दूंगा। इनको घर के अंदर नहीं घुसने दिया। इनका रोला सुनकर इनके गांव का भागीरथनाथ मौके पर आ गया। फिर उसने दीपाराम को पूर्णाराम व जैसाराम से छुडवाया और उसे घर ले आये। जिरह में गवाह पी.ड.4 रूखीदेवी का कथन है कि मोबाईल मांगने वाली बात किसी लड़के ने बताई, उसका नाम नहीं पता। लड़ाई झगड़े वाली बात इसको इसकी बेटियों ने बताई थी। मारपीट करने वाली बात व घसीटने वाली बात मौहल्ले के लड़को ने बताई थी। यह गलत बताया कि इसका लड़का दीपाराम सांसियो की लड़की को छोड़ने के लिए पूर्णाराम के घर गया हो। यह सही बताया कि जैसाराम ने कोई मारपीट नहीं की। इस प्रकार ये गवाह सुनी-सुनाई बात कहना बताती है। अपनी पुत्रियों के बारे में जिरह में कथन करती है कि इसकी बेटियों द्रौपदी व बसन्ती की शादी गांव पिपेरा में कर रखी है जो अपने ससुराल मे रहती है। घटना के 10 दिन बाद ये दीपाराम से मिलने के लिए आई थी। इस गवाह के कथनानुसार गवाह द्रौपदी व बसंती वक्त घटना घटनास्थल पर नहीं थी और घटना के 10 दिन बाद परिवादी व आहत दीपाराम से अपने ससुराल से मिलने आई थी।

16- गवाह द्रौपदी पी.ड.5 व गवाह बसंती पी.ड.6 वक्त घटना स्वयं को अपने पीहर के घर में लिखमादेसर में होना बताती है। स्कूल के बच्चों द्वारा आकर स्वयं को बताना बताती है कि दीपाराम के साथ पूर्णाराम व जैसाराम द्वारा मारपीट की जा रही है। फिर ये दोनो, इसकी मां व नौरंगराम भागकर वहां गये तो देखा कि पूर्णाराम के घर में दीपाराम को उल्टा पटक रखा था व उसके हाथ बांध रखे थे और जैसाराम उसके ऊपर बैठा था और पूर्णाराम उसके साथ मारपीट कर रहा था। ये छुड़ाने गये तो जैसाराम इनके पीछे गंडासी लेकर दौड़ा और कहा कि घर के अंदर आये तो काट दूंगा। फिर रोला सुनकर भागीरथनाथ आया और दीपाराम को छुड़ाया।

17- जिरह में उक्त दोनो गवाहान का कथन है कि पूर्णाराम की बेटी 20 वर्ष की है। इनके भाई ने उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की थी। इस प्रकार ये दोनो गवाहान बसंती व द्रौपदी उस समय घटनास्थल पर जाना बताया है जब मुल्जिमान् इनके भाई दीपाराम को अपने घर की बाखल में मारपीट कर रहे थे। दीपाराम पी.ड.1 के कथनानुसार उसको अपनी दुकान के आगे से घसीटकर अपने घर ले जाने की घटना देखनी नहीं बताई है।

18- गवाह पी.ड.7 पन्नाराम का कथन है कि वह अपने पिताजी की दवाई लेने खेत से गांव लिखमादेसर गांव आया तब पूर्णाराम के घर के पास पहुंचा तो वहां जैसाराम व पूर्णाराम हो हल्ला कर रहे थे। दीपाराम को पूर्णाराम के घर के अंदर डाल रखा था और पूर्णाराम व जैसाराम के घर के अंदर मारपीट कर रहे थे। मौके पर मेघाराम व भागीरथनाथ भी आ गए। इन्होंने जब छुड़ाने का प्रयास किया तो इन्हें धमकी दी कि अदंर आये तो जान से मार देंगे। दीपाराम के साथ मारपीट की घटना किस लिए हुई पता नहीं होना बताया।

19- इस प्रकार इस गवाह ने मेघाराम की भी घटनास्थल पर उपस्थिति होना बताई है। अन्य किसी गवाह ने मेघाराम की घटनास्थल पर उपस्थिति नहीं बताई है।

20- गवाह पी.ड.1 दीपाराम ने इसकी उपस्थिति के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। जिरह में गवाह पी.ड.7 पन्नाराम का कथन है कि वह दीपाराम परिवार मंे इसका भाई लगता है। अपनी आंखो से घटना देखना बताता है। घटनास्थल पर 10-15 से ज्यादा लोग इक्कठे हो रखे थे। यह गलत बताया कि दीपाराम ने पूर्णाराम के घर में प्रवेश कर उसकी पुत्री के साथ छेड़खानी की हो और भागते समय गिरने से उसके चोटे आई हो।

21- गवाह पी.ड. 8 मेघाराम का कथन है, कि वक्त घटना वह पूर्णाराम के घर के पास पहुंचा तो दीपाराम को जैसाराम व पूर्णाराम घर के अंदर उल्टा पटककर लाठी से मारपीट कर रहे थे। दीपाराम की बहन, मां व एक भाई छुड़ाने के लिए हल्ला कर रहे थे। उन्होंने मारने की धमकी दी थी, इसलिये ये छुड़ाने नहीं गया।

22- जिरह में कथन किया है कि मोबाईल की बात हुई उस समय दीपाराम व सोनू सांसी गली में पूर्णाराम के घर के आगे थे। पूर्णाराम व जैसाराम पास में नहीं थे। मोबाईल सोनू के हाथ में था, और उसके कहा भाई से बात कर रही हूं। ये पूर्णाराम के घर में नहीं गया था। उस दिन 20-25 लोग इक्कठे हो गये थे।

23- गवाह पी.ड.10 गिरधारी पक्षद्रोही घोषित हुआ है और स्वयं को घटना की कोई जानकारी नहीं होना बताता है तथा ना ही अपने सामने पुलिस द्वारा कोई बरामदगी करना बताता है। अपर लोक अभियोजक की जिरह में फर्द बरामदगी लाठी प्रदर्श पी 5 व पी 6 तथा नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी 7 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होना बताता है। पुलिस में अपने बयान नहीं होना बताता है। अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में कथन किया है कि इसके सामने पूर्णाराम व जैसाराम से लाठियां बरामद नहीं की गई। प्रदर्श पी

5, पी 6 व पी 7 पर थाने में हस्ताक्षर करवाना बताये। अपने साथ मौके पर पुलिस वालो का जाना नहीं बताया। इस प्रकार ये गवाह प्रदर्श पी 5 व पी 6 जब्ती तथा प्रदर्श पी 7 की पुष्टि नहीं करता है।

24- गवाह पी.ड.11 दुर्गाराम भी स्वयं को घटना की कोई जानकारी नहीं होना बताता है तथा पक्षद्रोही हुआ है। अपर लोक अभियोजक की जिरह में फर्द बरामदगी लाठी प्रदर्श पी 5 व पी 6 पर स्वयं के सी से डी हस्ताक्षर पुलिस द्वारा खाली कागजों पर थाने में करवाना बताये है। अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह में कथन किया है कि पुलिस मौके पर इसके साथ नहीं गई थी। इस प्रकार ये गवाह भी फर्द बरामदगी प्रदर्श पी5 व पी 6 की पुष्टि नहीं करता है।

25- गवाह पी.ड.12 सुगनचंद अनुसंधान अधिकारी का मुख्य परीक्षण में कथन है कि दिनांक 17.03.2016 को वह एच.सी. के पद पर पुलिस थाना श्रीडूंगरगढ में तैनात था। उस दिन थाना पर एक मुकदमा नंबर 62/2016 दर्ज हुआ। जिसका अनुसंधान एस.एच.ओ. द्वारा उसे सुपुर्द किया गया। मजरूब दीपाराम की चोटों का मेडिकल करवाया था। दिनांक 18.03.2016 को घटनास्थल पर पहुंचकर कार्यवाही मौका की गई व गवाहान के बयानात लिखे गये। घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी 03 व हालातमौका प्रदर्श पी 03 ए है। फर्दगिरफतारी व जमातलाशी मुलजिम जैसाराम प्रदर्श पी 08 है। फर्द इतला 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम जैसाराम प्रदर्श पी 09 है। फर्द बरामदगी एक लाठी अजाने मुलजिम जैसाराम प्रदर्श पी 05 है। फर्दगिरफतारी व जमातलाशी मुलजिम पूर्णाराम प्रदर्श पी 10 है। फर्द इतला 27 साक्ष्य अधिनियम मुलजिम पूर्णाराम प्रदर्श पी 11 है। फर्द बरामदगी एक लाठी अजाने मुलजिम पूर्णाराम प्रदर्श पी 06 है । नक्शामौका बरामदगीस्थल मकान मुलजिम पूर्णाराम प्रदर्श पी 07 है व हालातमौका बरामदगीस्थल प्रदर्श पी 07 ए है। चोट प्रतिवेदन दीपाराम प्रदर्श पी 12 है, एम.एल.सी एक्स रे रिपोर्ट दीपाराम प्रदर्श पी 13 है मालखाना रजिस्टर की फोटो प्रति प्रदर्श पी 13 ए है। आर्टिकल 01 बरामदशुदा लाठी मुलजिम पूर्णाराम है। मूल चिट दस्तखती प्रदर्श पी 14 है व इसकी कार्बन प्रति प्रदर्श पी 14 ए है। आर्टिकल 02 एक लाठी बरामदशुदा मुलजिम जैसाराम है। चिट दस्तखती प्रदर्श पी 15 है व इसकी कार्बन प्रति प्रदर्श पी 15 ए है। गवाहान नौरंगलाल, भागीरथ, दीपाराम, हड़मानाराम, श्रीमती रूखी, श्रीमती द्रोपदी, श्रीमती वर्षा उर्फ बसंती, मेघाराम, पन्नाराम के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये थे। अनुसंधान पूर्ण किया जाकर पत्रावली एस.एच.ओ. साहब को पेश की। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 है। चाक एफ0आई0आर0 प्रदर्श पी 02 है। थानाधिकारी द्वारा पत्रावली की

अग्रिम कार्यवाही कर नतीजा अन्तर्गत धारा 364, 308, 342, 325/34 भा.द.सं. का न्यायालय में पेश किया।

26- उक्त गवाह ने जिरह में कथन किया है कि मालखाना रजिस्टर पर मेरे व मालखाना इन्चार्ज के हस्ताक्षर नहीं है। उस समय मालखाना इन्चार्ज रतनलाल था फिर कहा कि पूरा याद नहीं है। यह कहना गलत है कि उसने प्रकरण में लाठियां बरामद नहीं की हो। यह सही है कि आर्टिकल 01 व 02 पर खून की छींटे आदि लगे हुए नहीं है। यह सही है कि बरामदशुदा लाठियां जैसी लाठियां बाजार में आसानी से उपलब्ध हो सकती है। यह सही है कि बरामदगशुदा लाठियों पर मैंने कोई मार्क अंकित नहीं किया था। यह सही है कि मुझे घटनास्थल पर घटना से संबंधित कोई अलामात नहीं मिले थे। घटनास्थल आबाद क्षेत्र है। घटनास्थल के पड़ोसियान चैनाराम, साजनराम, लीलूराम व मघाराम के बयान लेखबद्ध नहीं किये क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था। उक्त पड़ोसियान ने कहा था कि हम मुलजिमान से भयभीय है इसलिए हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते है, जिसका अंकन मैंने केस-डायरी में डाला है। घटनास्थल के पास में मन्दिर तो है पर वहां पर कोई पुजारी था या नहीं मैंने नहीं देखा, और उक्त मन्दिर किस देवता का है मुझे याद नहीं, मौका पर धर्मशाला हो तो मैंने चैक नहीं किया था। मुझे घटनास्थल पर मुलजिमानों के पदचिन्ह् नहीं मिले थे क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोगों के खोज थे। मैंने नक्शा प्रदर्श पी 03 में दुकान मुस्तगीस दर्शाइ है वह टेप रेडियो रिपेयरिंग की है। मैंने हालात मौका प्रदर्श पी 03 ए में यह नहीं लिखा था कि उक्त दुकान रेडिया, ठीक करने की है। मैंने प्रदर्श पी 03 में किसी स्वतंत्र मौतबीर के हस्ताक्षर नहीं करवाये स्वतः कहा कि वहां पर उपस्थित लोगों के करवाये थे। दौराने अनुसंधान कोई मोबाईल बरामद नहीं हुआ था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में जिस मोबाईल का अंकन है उस बाबत् मैंने ना ही तो कोई अनुसंधान किया, और ना ही किसी प्रकार की कोई कॉल डिटेल /लोकेशन आदि प्राप्त कर शामिल पत्रावली की है। प्रदर्श पी 07 जो नक्शा मैनें बनाया है वह घर खुला था व उसमें परिवार के सदस्य रहतें है। उसके अनुसंधान में ऐसा नहीं आया कि मुलजिम पूर्णाराम की पुत्री सोनू के साथ परिवादी द्वारा घर में नाजायज प्रवेश कर छेड़खानी व बलात्कार करने का प्रयास किया हो व गांव के लोगों द्वारा देखने पर परिवादी द्वारा भागने पर उसके चोटें आई हो। यह कहना गलत है कि मैं परिवादी के दबाव में आकर व उनके प्रभाव में आकर गलत अनुसंधान किया हो।

27- इस प्रकार अनुसंधान अधिकारी पी.ड.12 सुगनचंद के कथनानुसार लाठी आर्टिकल 1 व 2 पर खून के छींटे आदि लगे हुए नहीं थे। बरामदशुदा

दोनो लाठियां एक ही बांस होना व खोखली होना बताई है। घटनास्थल पर घटना के कोई आलामात नहीं होना बताये है। घटनास्थल पर दिनांक 18.03.2016 का स्वयं का जाना व उस वक्त परिवादी व आहत दीपाराम का घर पर ही होना बताया है। प्रदर्श पी 3 पर स्वतंत्र मौतबीर के हस्ताक्षर नहीं करवाना बताये। दौराने अनुसंधान कोई मोबाईल जब्त करना नहीं बताया है।

28- गवाह पी.ड.13 को विभय तंवर का मुख्य परीक्षण में कथन है कि दिनांक 09.04.2016 को वह सीएचसी श्रीडुंगरगढ में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन दीपाराम पुत्र हड़मानाराम की एम.एल.सी. एक्स-रे करवाकर रिपोर्ट तैयार की थी जिसकी आई.आर. में वर्णित चोटो के अनुसार व एक्स-रे रिपोर्ट के अनुसार चोट संख्या 01 गंभीर प्रकृति की थी तथा चोट संख्या 2, 3, 4 सामान्य प्रकृति की थी। एम.एल.सी. एक्स-रे रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 पर सी से डी अपनी राय व ई से एफ अपने हस्ताक्षर होना बताये है। एक्स-रे प्लेट प्रदर्श पी 16 व 17 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होना बताये है।

29- जिरह में कथन किया है कि प्रदर्श पी 13 में वर्णित चोट संख्या 01 कोई व्यक्ति दौड़ते हुए कठोर धरातल पर गिर जाये तो आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। चोट संख्या 01 प्राणघातक नहीं है। एक्स-रे प्रदर्श पी 16 व पी 17 अपने निर्देशन में तैयार करवाना बताये।

30- इस गवाह में कथनों के साथ-साथ मजरूब दीपाराम की आई.आर. का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि ये दिनांक 17.03.2016 को डॉक्टर अनिल प्रताप के द्वारा तैयार की गई है। इसमें चोट संख्या 1 लेफ्ट एंकल पर है। उक्त डॉक्टर अनिल प्रताप की मृत्यु हो जाने से वे साक्ष्य में परीक्षित नहीं हुए है।

31- इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन व विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रकट होता है कि घटना से पूर्व अभियुक्त पूर्णाराम की पुत्री अपने भाई कालू से बात करने के लिए परिवादी दीपाराम की दुकान पर मोबाईल लेने आई थी। परिवादी ने उसे अपना मोबाईल उसके भाई का नंबर मिलाकर दिया था। पूर्णाराम की लड़की उसके मोबाईल से बात करते-करते अपने घर चली गई। इसके कुछ देर बाद परिवादी अपनी दुकान के बाहर खड़ा था तब पहले अभियुक्त पूर्णाराम व उसके बाद उसका भाई जैसाराम वहां आया। दोनो ने वहां उसके साथ मारपीट की तथा उसे घसीटकर पूर्णाराम परिवादी को अपने घर ले गये व वहां भी उसके साथ मारपीट की। इसके पश्चात् मौहल्ले वाले बच्चों की सूचना पर इसके भाई, बहने वहां आये और हल्ला किया। जिस पर उन्हें पूर्णाराम के घर के अंदर नहीं जाने दिया और

आहत के कथनानुसार उसे भागीरथनाथ द्वारा छुड़वाना बताया है। अन्य गवाहान ने भी इसकी पुष्टि की है, परंतु गवाह पी.ड.9 भागीरथनाथ पक्षद्रोही घोषित हुआ है और घटनास्थल पर स्वयं की उपस्थिति से इंकार किया है। अनुसंधान अधिकारी पी.ड.12 के कथनानुसार अभियुक्तगण परिवादी को प्रदर्श पी 3 में दर्शित मार्क ग् स्थान से ग्1 स्थान तक घसीटकर ले जाना व मारपीट करना बताया है। बरामदगी के दोनो गवाह पक्षद्रोही घोषित हुए है तथा अभियुक्तगण से लाठियों की जब्ती से इंकार किया है तथा इसने जब्ती की पुष्टि नहीं की है। परन्तु पत्रावली पर विद्यमान साक्ष्य से यह साबित होता है कि पूर्णाराम अभियुक्त की पुत्री को अभियुक्त द्वारा मोबाईल देने से यह घटना कारित हुई। आहत दीपाराम के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 12 के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त दीपाराम के चोट संख्या 1 गंभीर प्रकृति की है व शेष चोटे साधारण प्रकृति की आना पाई गई है। आहत के उक्त चोटे आने का कोई और कारण नहीं है। यद्यपि जिरह में अभियोजन के गवाहान से अभियुक्तगण के अधिवक्ता द्वारा यह सुझाव दिया गया कि परिवादी ने अभियुक्त पूर्णाराम के घर में घुसकर उसकी पुत्री के साथ गलत व्यवहार किया, जिससे नाराज होकर गांव वालों ने उसे पीटा व वह भागते हुए पक्के फर्श पर गिर गया जिससे उसके चोटे आई। परंतु अभियोजन के सभी गवाहान ने उक्त तथ्ये से इंकार किया है तथा किसी प्रकार से यह तथ्य साबित नहीं हुआ है। परन्तु अभियुक्त द्वारा परिवादी व आहत दीपाराम को उसकी दुकान के आगे से घसीटकर अपने घर ले जाना व उसके साथ मारपीट करना साबित हुआ है।

32- अभियुक्तगण पर अपराध अंतर्गत धारा 364/34, 342/34, 325/34 व 323/34 भारतीय दंड संहिता के आरोप जैर विचारण रहे है।

33- धारा 364 भारतीय दंड संहिता किसी व्यक्ति की हत्या करने के उद्देश्य से अपहरण करने से संबंधित है। किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यपहरण इस इरादे से करना कि उसकी हत्या की जा सके या उसे ऐसी स्थिति में डाला जा सके जिससे उसे उसकी हत्या का खतरा हो।

34- हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर विद्यमान मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य यह प्रकट नहीं होता है कि अभियुक्तगण का आशय यह रहा हो कि वे आहत दीपाराम की हत्या कारित करने के आशय से उसे घसीटकर अपने घर ले गये हो। आहत के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 12 व गवाह पी.ड. 13 डॉक्टर विभय के कथनानुसार आहत के सिर्फ एक चोट संख्या 1 गंभीर प्रकृति की आना बताई जबकि स्वयं आहत ने दोनो अभियुक्तगण द्वारा स्वयं को लाठियों से पीटना बताया है। यदि दो व्यक्तियों द्वारा नीचे गिराकर उसे लाठियों से पीटा जाता तो उसके शरीर पर अधिक गंभीर चोटे व फ्रेक्चर आने की संभावना से

इंकार नहीं किया जा सकता था। परंतु गवाह पी.ड. 13 डॉक्टर विभय तंवर ने भी अपनी साक्ष्य में यह नहीं कहा है कि आहत के चोट संख्या 01 उसके हाथ की कोहनी में फ्रेक्चर है ना ही एक्स-रे पढने वाले रेडियोलॉजिस्ट को साक्ष्य में परीक्षित करवाया गया है और ना ही आहत पी.ड. 1 दीपाराम की साक्ष्य से यह साबित होता है कि अभियुक्तगण आहत को इस आशय से अपने घर घसीटकर ले गये हो। अतः धारा 364 भारतीय दंड संहिता का अपराध अभियुक्तगण के विरूद्ध साबित करने में अभियोजन असफल रहा है। मेडिकल एवीडेंस से व स्वयं आहत पी.ड.1 दीपाराम की साक्ष्य से अपनी कोहनी की हड्डी का अस्थिभंग होना भी साबित नहीं होता है। अतः अभियुक्तगण धारा 364/34 व 325/34 भारतीय दंड संहिता के आरोपित अपराध से दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है। पत्रावली पर विद्यमान साक्ष्य से यह साबित होता है कि अभियुक्तगण, आहत व परिवादी दीपाराम को उसकी दुकान के आगे से घसीटकर अभियुक्त पूर्णाराम के घर की बाखल में ले गये व उसको सदोष परिरोध कर उसके साथ कुन्दालय से स्वैच्छया साधारण उपहति कारित की। अतः अभियुक्त अपराध अंतर्गत धारा 342/34 व 323/34 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषसिद्ध घोषित किये जाने योग्य है।

आदेश

35- अतः अभियुक्तगण पूर्णाराम पुत्र रूघाराम, जैसाराम पुत्र रूघाराम निवासीगण लिखमासदेसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर को भा.द.सं. की धारा 342/34 व 323/34 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। इन्हीं उपरोक्त अभियुक्तगण को भा.द.सं. की धारा 364/34 व 325/34 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोपों में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत-मुचलके निरस्त किए जाते है और उन्हें अभिरक्षा में लिया जाता है।

(सरिता नौशाद)
अपर जिला न्यायाधीश
श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

:ः सजा के बिन्दु पर:ः

36- सजा के बिन्दु पर उभय पक्षकारान को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने कथन कि अभियुक्तगण ग्रामीण परिवेश के है जिन पर सामाजिक व पारिवारिक दायित्व है तथा वे 2016 से अन्वीक्षा भुगत रहे है तथा इस प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में भी रहे है। अतः उनके विरूद्ध

नरमी का रूख अपनाते हुए परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जावें। विद्वान अपर लोक अभियोजक ने इसका विरोध करते हुए अभियुक्तगण को दण्डित किए जाने का निवेदन किया।

37- सुना गया चूंकि अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धी की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं आई है ऐसीस्थिति में यह मुलजिमान का प्रथम अपराध ही माना जाएगा व मुलजिमान ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है जो 2016 से अन्वीक्षा भुगत रहे है तथा अभियुक्तगण इस प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में भी रहे है। अतः ऐसीस्थिति में केस के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए मुलजिमान को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>दण्डादेश</u>

38- अतः अभियुक्तगण पूर्णाराम पुत्र रूघाराम, जैसाराम पुत्र रूघाराम निवासीगण लिखमासदेसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर को उक्त आरोपित अपराधों के तहत तुरन्त दण्डित करने के बजाय परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि अपराधि परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 के अन्तर्गत दस-दस हजार रूपये के जमानत मुचलके पेश कर तस्दीक करवाने पर निम्न लिखित शर्तो पर एक वर्ष की परिवीक्षा पर उन्हें रिहा किया जाये:-

(अ) अभियुक्तगण द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति नहीं की जावेगी तथा वें सदाचार बनाये रखेगें।

(आ) अभियुक्तगण को जब भी इस न्यायालय द्वारा एवं माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा सजा भुगतने के लिए तलब किया जावेगा वे स्वयं को माननीय अपीलीय न्यायालय को प्रस्तुत करेगें।

(इ) अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय की अनुमति के बिना अपने स्थायी पते में परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

(ई) इस निर्णय के विरूद्ध की गई अपील में माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर अभियुक्तगण स्वयं को अविलम्ब माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगे।

(उ) अपराधि परिवीक्षा अधिनियम की धारा 13 के तहत प्रत्येक अभियुक्त पर 1500-1500 (अखरे रूपये एक हजार पांच सौ--एक हजार पांच सौ) कुल 3,000/- रूपये (अखरे कुल रूपये तीन हजार मात्र) प्रतिकर आरोपित किया जाता है। उक्त प्रतिकर राशि 3,000/-रूपये (अखरे रूपये तीन हजार) बाद गुजरने मियाद अपील परिवादी/मजरूब पी.डब्ल्यू.1 दीपाराम को अदा की जावें।

39- प्रकरण में जब्तशुदा वजह सबूतों व आर्टिकलों को बाद व्यतीत होने मियाद अपील या अपील नहीं होने की दशा में नियमानुसार निस्तारित किया जाए।

(सरिता नौशाद)
अपर जिला न्यायाधीश
श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

40- निर्णय आज दिनांक 07-05-2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सरिता नौशाद)
अपर जिला न्यायाधीश
श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर